राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक : प7(53)(एफसी)परि/नियम/मु./2026/2393 जयपुर, दिनांक 16/02/2026

कार्यालय आदेश 01/2026

परिवहन यानों की फिटनेस के संबंध मे मोटर यान अधिनियम की धारा 56 में प्रावधान किये गये। उक्त क्रम में केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 173 से 190 के अन्तर्गत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) की स्थापना व संचालन संबंधित प्रावधान किये गये है। उक्तानुसार प्रावधानों के आलोक में प्रदेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) को वाहनों की फिटनेस हेतु अधिकृत किये गये है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में संचालित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) द्वारा वाहनों के भौतिक निरीक्षण के बिना वाहनों की फिटनेस नवीनीकरण किये जाने के प्रकरण समय–समय पर विभाग के संज्ञान में आते है। वाहनों के भौतिक निरीक्षण बिना, वाहनों के फिटनेस नवीनीकरण किया जाना न केवल मोटर यान नियमों एवं विभागीय आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु सड़क पर आमजन के जीवन को गम्भीर खतरा उत्पन्न करता है। यह वस्तुतः समाज के प्रति आपराधिक कृत्य है। अतः वाहनों के भौतिक निरीक्षण बिना फिटनेस नवीनीकरण जारी किये जाने की प्रवृति पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से समस्त जिला परिवहन अधिकारी तथा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन संचालको को निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है:–

1. समुचित रूप से वाहनों की यान्त्रिक /भौतिक जाँच के पश्चात ही फिटनेस जारी हो, इस दृष्टि कोण से प्रदेश में संचालित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) को एक घण्टे में LMV/ HMV अधिकतम 06 वाहन एवं दुपहिया, अधिकतम 8 वाहन प्रति लेन फिटनेस जारी करने की अनुमति होगी।

2. समस्त ATS सेंटर संचालक फिटनेस नवीनीकरण हेतु आने वाले प्रत्येक वाहन का, फिटनेस प्रक्रिया को समग्र रूप से कवर करने वाला विडियो, (दुपहिया वाहनो के लिए कम से कम 7 मिनिट तथा शेष वाहनों के लिए कम से कम 10 मिनिट का) जिसमें प्रवेश एवं निकास द्वार, टेस्ट लेन, उपकरण क्षेत्र, नियंत्रण कक्ष, वाहन चालक व वाहन का यान्त्रिक परीक्षण करते हुए, सेन्टर की पृष्टभूमि, वाहन के पंजीयन नम्बर, चैसिस नम्बर, वाहन चालक, अधिकृत निरीक्षण कर्त्ता प्राधिकारी, सभी [illegible] टेस्ट इत्यादि का समावेश हो, AFMS पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

RajKaj Ref No.: 20550770
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Purusottam Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.16 16:40:27 IST
Reason: Approved

3. वर्तमान में AFMS पर विडियो अपलोड किये जाने की व्यवस्था नही है, अतः विडियों अपलोड सम्बंधी प्रावधान होने तक एचडी कैमरा से उच्च गुणवत्ता वाली विडियो रिकार्डिंग का डेटा (पेन ड्राई में) प्रत्येक सोमवार (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस) को सम्बंधित जिला परिवहन अधिकारी को तथा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मुख्यालय को ATS संचालक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुत किये गये सभी विडियोज को अगले 6 माह तक सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्रत्येक वाहन के विडियों का अवलोकन कर महीने की 5 तारीख तक, एक प्रमाण–पत्र मुख्यालय को प्रेषित करना होगा कि उसके द्वारा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन द्वारा जारी फिटनेस से सम्बंधित समस्त विडियोज का समयग् प्रकार से अवलोकन कर लिया है तथा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार वाहन के समुचित निरीक्षण पश्चात् ही फिटनेस जारी की गई है। जिन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन द्वारा वाहनों के समुचित यान्त्रिक/भौतिक निरीक्षण बिना फिटनेस जारी किया जाना पाया जाये, तो संबंधित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के मालिक एवं अधिकृत निरीक्षण कर्त्ता (तकनीकी व्यक्ति) के विरूद्व नियमानुसार सम्बंधित पुलिस थाना में FIR, अन्तर्गत (प्रकरण की प्रकृति अनुसार) भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 336 तथा 340 एवं आई.टी. एक्ट की धारा 43 ए, 44 तथा 72 ए एवं केन्द्रीय मोटर यान नियमों/विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेगें।

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करे।

(पुरुषोत्तम शर्मा)
आयुक्त,
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा

RajKaj Ref No.:
20550770
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Purusottam Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.16 16:40:27 IST
Reason: Approved

क्रमांक : प7(53)(एफसी)परि/नियम/मु./2026 2394-2400 जयपुर, दिनांक 16/02/2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
4. श्री श्रीपाल यादव, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. को लेख है कि AFMS पोर्टल पर उक्त प्रावधान उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
5. श्री कुलदीप यादव, अतिरिक्त निदेशक आई.टी. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त फिटनेस सेन्टरों/ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन संचालको को पालनार्थ प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी (फि.से.)/नियम एवं
संयुक्त परिवहन आयुक्त

RajKaj Ref No.:
20550803
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Jagdish Prasad Bairwa
Designation : Joint Transport Commissioner
Date: 2026.02.16 15:46:59 IST
Reason: Approved